Covid-19
Most Urgent

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/**299** दिनाँक : 13 अप्रेल, 2020

निदेशक,
भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के मध्यनजर रामगंज क्षेत्र, जयपुर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, जयपुर के अधीन 10 नर्सिंग स्टाफ कार्य व्यवस्था के तहत लगाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (Covid–19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (Covid–19) संक्रमण की रोकथाम हेतु नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आपके अधीन कार्यरत 10 नर्सिंग कर्मियों (नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्स श्रेणी प्रथम) को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक श्री अजिताभ शर्मा, आईएएस, प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी (Covid-19), जयपुर शहर की टीम में कार्य करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, जयपुर के अधीन कार्य व्यवस्था के तहत लगाते हुये पालना रिपोर्ट ई–मेल आई.डी. **add4ng@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त कार्मिकों को आज ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/**299** दिनाँक : 13 अप्रेल, 2020

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री अजिताभ शर्मा, आईएएस, प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी (Covid-19), जयपुर शहर, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, संभाग–जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय संबंधित को तुरन्त प्रभाव से ई–मेल करते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर